


1338

Scale 340,000/-

P.S. madhupur

1183

भारतीय गैर न्यायिक



झारखण्ड JHARKHAND

Stamp 50/- D 086645

निबंधन अधिनियम 2) के अधीन
 और छोटानगर एक्ट की
 धारा है और
 अधिनियम 1) के
 अधिनियम सहित
 (क) राज्य सरकार के विमुक्त नगर के अंतर्गत जमीन नहीं

Particular
 A/c - 80 -
 I - 5000 -
 N - 150 -
 5150 -

28/12/18
 निबंधन अधिकारी

Sumita Sharma

झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापक 499 एवं 500 दिनांक 19/6/17 के आलोक में शुल्क विमुक्त

मि० अ० नि०
 देवपुर
 28/12/18



Samsung 64 MP Camera
 Shot with my Galaxy M31 64 MP

2.066X189097
3,28,694

Sumita Sharma

बिक्रेता

बिक्रेता :- श्रीमती सुनीता शर्मा, पति श्री सविन्द्र शर्मा, जाति ब्राहमण, पेशा गृहस्वामिनी, साकिन कॉलेज रोड, मधुपुर, थाना सखिडिविजन व सबरजिष्ट्री मधुपुर, जिला निबंधन कार्यालय व जिला देवघर, राज्य-झारखण्ड, राष्ट्रीयता :- भारतीय।
पेन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न।
PAN- DQGPS3555F AADHAR 5508-3075-5988

क्रेता :- श्रीमती मौसम कुमारी, पिता सुशील कुमार, जाति भुमिहार ब्राहमण, पेशा गृहस्वामिनी, साकिन वृदावन, वार्ड 03, डफरपुर, बेगुसराय, जिला बेगुसराय, राज्य-बिहार, राष्ट्रीयता :- भारतीय।
पेन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न।
PAN- HTGPK0503Q AADHAR 9855-9273-3056



लेख्य प्रकार :- बिक्रय पत्र।

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :- कुल 3,40,000/- तीन लाख चालीस हजार रुपये मात्र।

बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण :- निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।

विदित हो कि मधुपुर शहर के अन्दर मौजा कुशमाहा न० 371, के अन्दर बसौड़ी सत्त्व की जमीन, अन्दर गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट प्लाट न० 442 रकवा 0.50 एकड़ व प्लाट न० 443 रकवा 2.15 एकड़ मोट रकवा 2.65 एकड़ (दो एकड़ पैसठ डिसमिल), अन्दर बसौड़ी जमाबंदी न० 35/30 जो गत गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट पर्चा में तारणी प्रसाद राय बल्द बोदी प्रसाद राय के नाम से बसौड़ी दर्ज है, खातियान की छायाप्रति संलग्न।

उपर्युक्त तारणी प्रसाद राय उक्त सम्पत्ति जो रत्ना भीला के नाम से जाना जाता था को दिनांक 19/03/1942 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक किता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 4, पृष्ठ संख्या 171 से 174 में निबंधित जिसकी संख्या 79 वर्ष 1942 ईस्वी के द्वारा, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा के पास बिक्री कर दिया।

उपर्युक्त सत्येन्द्र नारायण सिन्हा उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा पाथरोल इस्टेट के सिरिस्ता में अपना नाम दर्ज करवाकर पाथरोल इस्टेट को साल ब साल खजाना आदाय करते हुए इस्टेट भेष्ट कर जाने के बाद बिहार सरकार के पंजी-2 में अपना नाम दर्ज करवाकर रकवा 4 चार बीघा, 4 चार कटठा, 16 सौलह धुर के बावत थोका न० 51 के अंचल कार्यालय मधुपुर उसके बाद करौं में सलाना खजाना आदाय करते हुए ताजिन्दगी निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हुए।

उपर्युक्त सत्येन्द्र नारायण सिन्हा के स्वर्गवास कर जाने पर श्री अमरेन्द्र मोहन सिन्हा, जोगेन्द्र मोहन सिन्हा, माधाबेन्द्र मोहन सिन्हा, श्रीमती ज्योत्सना सरकार, श्रीमती मंजुश्री सेन, श्रीमती लक्ष्मीश्री मित्रा, श्रीमती शोभा रानी सिन्हा, श्री संदीप कुमार सिन्हा, श्रीमती सुभ्रा सरकार, श्रीमती अनिमा सिन्हा, श्री देवब्रत सिन्हा व श्रीमती अनजना घोष वारिस सुत्र से उक्त सम्पत्ति मौजा कुशमाहा के अन्दर बसौड़ी सत्त्व की जमीन, अन्दर गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट प्लाट न० 442 व 443 रकवा स्थानीय माप से 4 चार बीघा, 4 चार कटठा, 16 सौलह धुर तदुपरिस्थित मकानादि, अन्दर सर्वे बसौड़ी जमाबंदी न० 35/30, थोका न० 51, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वार्ड न० 17 के वारिस सुत्र से मालिक व अधिकारी रहते हुए उपर्युक्त अमरेन्द्र मोहन सिन्हा, जोगेन्द्र मोहन सिन्हा, मधाबेन्द्र

Sumita Sharme



Samsung 64 MP Camera
Shot with my Galaxy M31 64 MP

मोहन सिन्हा, जोत्सना सरकार, मंजुश्री सेन, लक्ष्मीश्री मित्रा, शोभा रानी सिन्हा, संदीप कुमार सिन्हा, सुब्रा सरकार, अनिमा सिन्हा, देवाब्रतो सिन्हा, अंजना घोष, उपर्युक्त अमरेन्द्र मोहन सिन्हा खुद व आम मोख्तार तरफ जोगेन्द्र मोहन सिन्हा, माधाबेन्द्र मोहन सिन्हा, श्रीमती ज्योत्सना सरकार, श्रीमती मंजुश्री सेन, श्रीमती लक्ष्मी मित्रा, श्रीमती शोभा रानी सिन्हा, श्री संदीप कुमार सिन्हा, श्रीमती सुब्रा सरकार, श्रीमती अनिमा सिन्हा, श्री देवब्रत सिन्हा व श्रीमती अनजना घोष(through registered power of attorney registered before Registrar of Assurances Calcutta in Book No. IV, Volume No. 110, Pages 105 to 110, being No. 6503 for the year 2007, and power of attorney in Book No. IV, C.D Volume No. 1, Pages 5664 to 5672, being No. 00514 dated 31.12.2007) ने दिनांक 30/10/2010 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 89, पृष्ठ संख्या 194 से 218 में निबंधित जिसकी संख्या 3066 वर्ष 2010 ईस्वी के द्वारा, उक्त सम्पत्ति मौजा कुशमाहा न0 371 के अन्दर बसौड़ी सत्त्व की जमीन सेटलमेन्ट प्लाट न0 442 व 443, रकवा 4(चार) बीघा, 4(चार) कट्टा, 16(सौलह) धुर, पर 3,500 वर्गफीट पर बना एकतल्ला पक्का मकान, अन्दर सर्वे जमाबंदी न0 35/30, अन्दर थोका न0 51, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वार्ड न0 17, वमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश मय कुल हक हकुक, उपर्युक्त मुझ बिक्रेता श्रीमती सुनीता शर्मा के पास बिक्री कर दिया, बिक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न।

उपर्युक्त मैं बिक्रेता श्रीमती सुनीता शर्मा उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय करौं में नामान्तरण वाद संख्या 25/2011-2012 के द्वारा दिनांक 13/09/2011 ईस्वी के आदेशानुसार राजस्व विभाग के पंजी II में अपना नाम दर्ज करवाकर जमाबंदी न0 35/30, थोका न0 51 के बावत वार्षिक मालगुजारी 100/-रूपये अलावे शेष वगैरह आदाय कर बहैसियत पूर्ण मालकिन आजतक निर्विवाद रूप से भोगवती व दखलकारीणी हूँ, शुद्धि पत्र व खजाना रसीद की छायाप्रति संलग्न।

Sumita Sharma



Samsung 64 MP Camera
Shot with my Galaxy M31 64 MP

अभी उपर्युक्त मुझ बिक्रेता को अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिये रुपये की सख्त जरूरत है, इसलिये उक्त सम्पत्ति के अन्दर रकवा 900 वर्गफीट जिसका पूर्ण विवरण निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किया।

आप क्रेता इसे अभी के बाजार भाव की दर से अधिकतम कीमत पर खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से इसकी कीमत कुल 3,40,000/-तीन लाख चालीस हजार रुपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख उपर्युक्त मैं बिक्रेता, आप क्रेता से, कीमत के कुल 3,40,000/-तीन लाख चालीस हजार रुपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of consideration) अनुसार लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकुक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके दखल कब्जे में दे दिया।

अब आप क्रेता, मुझ बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववती व दखलकारीणी होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने की अधिकारीणी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करती रहें, इसमें मुझ बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति का मैं बिक्रेता ही एकमात्र मालकिन हूँ, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नहीं है व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय-संयुक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं की हूँ, हर तरह से साफ व पाक है।

Smita Sharma



निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अगर भविष्य में, मुझ बिक्रेता मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में आप क्रेता मय वारिसान के अनुरोध व खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहूँगी।

अतएव आज तारीख में बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of consideration) अनुसार लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिया जो प्रमाण रहे, दिनांक 04.12.2018

अनुसूची सम्पत्ति

थाना नं० 371, जिला देवघर, सबडिविजन मधुपुर, सबरजिष्ट्री देवघर, थाना करौं, अंचल करौं, सामिल मौजा कुशमाहा के अन्दर सर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन, सेटलमेन्ट प्लॉट नं० 442, रकवा 900 वर्गफीट (नौ सौ वर्गफीट) यानि 2.066 डिसमिल, अन्दर सर्वे जमाबंदी नं० 35/30, अन्दर थोका नं० 51, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वार्ड नं० 17, नया 17, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ सब प्लॉट नं० "34" का अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकुक बिक्री किया जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- बिक्रेता की जमीन।

दक्षिण :- बिक्रेता की जमीन।

पुर्ब :- 15'-00" फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।

पश्चिम :- बिक्रेता की जमीन।

Sumita Sharma



Samsung 64 MP Camera
Shot with my Galaxy M31 64 MP

घोषणा :- उक्त बिक्रीत सम्पत्ति अन्य सड़क में है, जो आवासीय है तथा लीज से मुक्त है, निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/बन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अर्न्तगत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अर्न्तगत भी नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सी. बी. आई जॉच के दायरे से बाहर है तथा निबंधन के लिये किसी तरह का रोक नहीं है। यदि उक्त कथन में कोई विसंगति पायी जाती है तो विधि संगत कानूनी कार्रवाही की भागी होंवेंगे।

गवाहान

Sumita Sharma

Rabindra Sharma
 10 Lata Nagar mal Tugonia,
 College Road, Phatherchepiti
 Madhubpur (Deoghar)
 Mobilen. 93040 64331



Rab

Sharma
 Redit

Rabindra Sharma

सुशील कुमार
 पिता - श्री शिवशंकर सिंह
 ग्राम - जगतपुरा
 पो. - बी. टी. पी. एल.
 जिला - बेगूसराय



रकम प्राप्ति रसीद
(Memo of consideration)

Cheque No - 059931 date - 4/12/2018 of Rs — 2,66,000 = 00
Cheque No - 090240 date - 4/12/2018 of Rs — 50,000 = 00
By cash ————— of Rs — 24,000 = 00

Total — 3,40,000 = 00

Sumita Sharma

Sumita Sharma



विक्रम का छायाचित्र हस्ताक्षर एवं टीप निषान



Sumita



Sumita Sharma

क्रेता का छायाचित्र, हस्ताक्षर व टीप निशान -



Mausam Kumari



Mausam Kumari

8877681604

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया, प्रारूप कर्ता सीताराम पंडित
दिनांक 04.12.2018 डीड राघवर देवघर

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा
है, के बाँये हाथ के अंगुलियों के निषान मेरे द्वारा लिया गया है, सीताराम पंडित
दिनांक 04.12.2018 डीड राघवर देवघर

अनुज्ञप्ति संख्या
37(5) 1982


Sumita Sharma



Samsung 64 MP Camera
Shot with my Galaxy M31 64 MP

N
↑
S
↓

MOUZA: KUSHMAHA No. 371, P.S- MADHUPUR, DIST-
DEOGHAR WITHIN MADHUPUR MUNICIPAL WARD
No 17, THOKA No. 51, J.B. No. 35/30, PART OF
PLOT No. 442, SUB- PLOT No. 34/8, AREA:
900 SQFT. MORE OR LESS, SHOWN IN RED
COLOUR BELONGS TO SUNITA SHARMA,
W/O SHRI RABINDRA SHARMA R/O- COLLEGE
ROAD, MADHUPUR, DIST- DEOGHAR.
NOW SOLD TO MAUSAM KUMARI
D/O SUSHIL KUMAR R/O - DAFARPUR, BRINDRAWAN
BEGUSARAI, BIHAR.



Sumita Sharma

Traced by
P.K. Nandan
A.M.



Samsung 64 MP Camera
Shot with my Galaxy M31 64 MP